संख्या-18/2024/380 /002-87-01099-77-2021

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजना पक्ष में जिला योजना अनुदान संख्या-70 के सामान्य मद के अंतर्गत (प्रोजेक्ट मोड) नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (जिला योजना) में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तन विषयक आपके पत्र संख्या-6585/यूपीनेडा-एसई-पीवीपीपी/एसएसएल-बजट/2023-24, दिनांक 15-03-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्टल मोड में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 710.00 लाख (रूपये सात करोड़ दस लाख मात्र) में से शासनादेश दिनांक 10-05-2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 177.50 लाख (रूपये एक करोड सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 532.50 लाख (रूपये पांच करोड बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) स्वीकृत कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्योपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी तथा विगत वर्षो में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि एवं संस्थान की वर्तमान आडिट रिपोर्ट की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। योजना पर किए जाने वाले व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

7- उक्त/कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विविरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्य पूर्ण एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाये।

8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। अवमुक्ति धनराशि के सापेक्ष व्युय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्ये क माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतरू कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,32,50,000 (रुपये पांच करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010302 नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (जिला योजना) मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-10-177-X-2023-24, दिनांक- 16 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौहान)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2024/380 /002-87-01099-77-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।